

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Indirect Taxes and Customs)

Notification
No. ~~44~~⁴⁴/2018-Customs (N.T.)


New Delhi, the ²⁴----May, 2018

S.O. (E). - In exercise of the powers conferred by clause (34) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 40/2012-Customs (N.T.), dated the 2nd May, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 993 (E), dated the 2nd May, 2012, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3) after item no (xxx), the following item shall be inserted, namely: -

“(xxxxa) Section 99A;”

[F.No. 437/1/2011-Dir (Cus)]



(Zubair Riaz)
Director (Customs)

Note. - The principal notification number 40/2012-Customs (N.T.), dated 2nd May, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 993(E), dated the 2nd May, 2012 and was last amended *vide* notification No. 115/2017-Customs (N.T.) dated the 14th December, 2017 published *vide* number S.O. 3886 (E) dated the 14th December, 2017.

[भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त-मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं० 44/2018- सीमाशुल्क (गै० टे०)

नयी दिल्ली, दिनांक 24 मई, 2018

का० आ० -----(अ):- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 के उप-वाक्य (34) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 40/2012-सीमाशुल्क (गै. टे.), दिनांक 2 मई 2012, जिसे का. आ. 993(अ), दिनांक 2 मई, 2012 के तहत भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष कालम (3) में मद सं (XXX) पश्चात निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“(XXXक) धारा 99क”

[फ़ा. सं. 437/1/2011-निदेशक(सीमाशुल्क)]

जुबेर रियाज

(जुबेर रियाज)

निदेशक (सीमाशुल्क)

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 40/2012-सीमाशुल्क (गै. टे.), दिनांक 2 मई 2012 को का. आ. 993(अ), दिनांक 2 मई, 2012 के तहत भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 115/2017-सीमाशुल्क (गै. टे.), दिनांक 14 दिसम्बर 2017, का. आ. 3886(अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।